इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए 3-67-2017-1-पांच (124).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "एसजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियमों" कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारियों" कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत् मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए 3-67-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-67-2017-1-पांच (124), दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2017

No. F A 3-67-2017-1-V(124).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "MPGST Act"), on the recommendations of the Council, the State Government hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act") who are authorized to be the proper officers for the purposes of Section 54 or Section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or Section 55 of the MPGST Act read with the rules made thereunder, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN PARMAR, Dy. Secy.